पत्रांक...1234..../आर.ओ.सिगनल

W-R-38/2006/RO Sig.

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 25/7/2017

विषय:- अखबारों में प्रकाशनार्थ विज्ञापन ।

महोदय,

निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न निविदा सूचना प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये। आपके ज्ञापांक 317/सू0ज0स0वि0 दिनांक 5.4.2006 के आलोक में विज्ञापन सामग्री को दिये गये नमूने के अनुरूप सी0डी0 तैयार कर एवं विज्ञापन सूचना की पॉच प्रतियॉ को इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोपरि (पॉच पृष्ट)

विश्वासभाजन,

(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया इसे आज ही वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना

बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना - 800023

निविदा सूचना संख्या-01/2017-18

(1)	विभाग का नाम	:	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
(2)	विज्ञापनदाता का नाम	:	पुलिस अधीक्षक(वितंतु) बिहार, पटना। बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेलीरोड, राजवंशी नगर, पटना।
(3)	निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय	:	निविदा प्रकाशित की तिथि से किसी कार्य दिवस में दिनांक 21.08.2017 के 1500 बजे तक
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं सयम	:	दिनांक 21.08.2017 को 1600 बजे
(5)	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	पुलिस अधीक्षक(वितंतु) बिहार, पटना का कार्यालय, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, टी0एक्स0 भवन राजवंशीनगर पटना-23
(6)	अनुमानित राशि	:	रू0 2500000/-(पच्चीस लाख रू0) से नीचे।

(7) मद का नाम :- (क) कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाले उपकरण यथा:- 1-डी.भी.डी.आ्र.डब्लू.(सोनी) 2 पैन ड्राईव: 4 जी0बी0, 8 जी0.बी0, 64 जी0बी0-ओ0टी0पी0, 128 जी0बी0-ओ.टी0पी0 एवं लेजर जेट विभिन्न मॉडल के प्रींटर के लिये टोनर कार्टिजेज । उपरोक्त सामानों की सूची के लिये निविदा आमंत्रित की जा रही है । निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी कार्य दिवस को लेखन शाखा, बिहार पुलिस रेडियो, टी0एक्स0भवन, बेली रोड, पटना से प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा के नियम एवं शर्त

(1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित ईकाईयों/आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत ईकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/ऐजेंट/प्राधिकृत डिलर/बिक्रेता आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी। लेकिन सफल निविदाकर्ताओं को क्रयादेश से पहले जी0एस0टी0 पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा।

(2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ञ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा

(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्नवर्णित वाणिजियक शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तीय बोली में तकनीकी की बोली में शामिल की गई ईकाईयों का ईकाईवर मूल्य दर्शाया जायेगा।

(3) निविदा के तकनीकी बोली में निम्नलिखि अभिलेख अवश्य संलग्न होने चाहिए (i) आयकर के अद्ययतन रिटर्न की छायाप्रति (ii) पैन नं0 की छायाप्रति (iii) निविदाकर्ता फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (iv) निविदा में जिन-जिन सामानों की दर वित्तीय बोली में दिये जा रहे हैं उनके नाम निविदा के तकनीकी भाग मे संलग्न करना आवश्यक है।

(4) निविदा के वित्तीय भाग में, तकनीकी भाग में शामिल की गयी मद का ईकाईवार मूल्य निम्नलिखि ढंग से अंकित करना होगा:- (क) प्रस्तावित मद का मूल्य प्रति ईकाई (ख) देय जी0एस0टी0 कर (ग) प्रति ईकाई जी0एस0टी0 सहित नेट मूल्य अंको एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा। इसमें किसी प्रकार का ओभरराईटिंग या कटिंग मान्य नहीं होगा।

(5) तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग-अलग लिफाफा में सीलबंद होने चाहिए एवं उनपर तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अंकित होना चाहिए। इन दोनो लिफाफों पर निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए। दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। इस बड़े लिफाफा पर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेगा एवं अगर फर्म का नाम बड़े लिफाफा पर अंकित करेगा तब उक्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा सीलबंद लिफाफा में उपरोक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(6) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सामानों की सूची में उल्लेखित '' कम्पनी '' के ही सामान स्वीकार्य होंगे अन्य ''कम्पनी'' का सामान स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) सूची वर्णित सामानों का वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दर एवं फर्म का निर्धारण किया जायेगा एवं जब जब जिन सामानों की जितनी आवश्यकता होगी तब-तब उन सामानों को अनुमोदित दर पर अनुमोदित फर्म से कय किया जायेगा।

(8) निविदाकर्ता का दर अनुमोदित होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आदेशित सामानों की आपूर्ति की बाध्यता होगी तथा वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं किया जायेगा।

(9) मदों की आपूर्ति बिहार पुलिस रेडियो, टी0एक्स0भवन, बेली रोड, पटना में ली जायेगी। इसके लिये अलग से कोई मार्ग व्यय देय नही है और न ही अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान है।

(10) विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई आपूरित मदों को स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी।

(11) निविदाकर्ता द्वारा समर्पित निविदा में दुकानों के निबंधन होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। भौतिक सत्यापन में यदि उक्त पते पर दुकान उपलब्ध नहीं होगा तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

पुलिस अधीक्षक(वितंतु), बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दे।

पुलिस अधीक्षक(वितंतु)
बिहार, पटना।
अनिल